

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वरीयता / 2015 / 260 भोपाल, दिनांक 23.02.2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (गैस राहत सहित),
मध्य प्रदेश।

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

विषय:- चिकित्सा अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम पदक्रम सूची में नाम सम्मिलित करने/कर्मचारी कोषालय आई.डी. कोड जोड़ने/संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-6 / वरीयता / 2014 / 2093, दिनांक 12.12.2014।

==0==

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा चिकित्सा अधिकारियों (द्वितीय श्रेणी) की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति दर्शाने वाली अंतिम पदक्रम सूची ई-मेल द्वारा भी भेजी गई है तथा विभागीय website www.health.mp.gov.in पर भी उपलब्ध करायी गई है।

चिकित्सा अधिकारियों की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति दर्शाने वाली अनंतिम पदक्रम सूची का प्रकाशन किया जाना है। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी की गई चिकित्सा अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन तथा नाम जोड़ने के संबंध में आज भी अभ्यावेदन सीधे चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त हो रहे या अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा अग्रप्रेषित किये जा रहे हैं, परन्तु उक्त अभ्यावेदनों के साथ जारी की गई उक्त सूची में संशोधन, नाम परिवर्तन तथा नाम जोड़ने के संबंध में वांछित अभिलेख प्राप्त न होने के कारण उनकी वरीयता का निर्धारण करने, नाम जोड़ने, संशोधन के संबंध में कठिनाई होती है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा नहीं।

चिकित्सा अधिकारियों के नामों को वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रमाणित कर अपर संचालक (प्रशासन) को निम्नानुसार जानकारी के साथ पत्रक तैयार प्रेषित करें :-

बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है

01. चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
02. परीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश की प्रति।
03. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आज दिनांक तक सेवा अवधि का सेवा पुस्तिका के आधार पर प्रमाणीकरण (यदि अकार्य दिवस मान्य किया गया हो तो उसके आदेश की प्रति।)
04. वरीयता सूची के निर्धारित 16 कॉलम के प्रपत्र को भर कर प्रमाणित कर प्रेषित करें।
05. यदि स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारी है तो उसके डिग्री/डिप्लोमा तथा मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल में पंजीयन की छायाप्रति एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टी कर उसके पृष्ठ की सत्यापित प्रति।

उक्त जानकारी दिनांक 15.03.2015 तक प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी का नाम वरीयता सूची में सम्मिलित न होने की स्थिति में संस्था प्रमुख उत्तरदायी होंगे। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि आपके अधिनस्थ पदस्थ समस्त नियमित चिकित्सा अधिकारियों के नाम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु अब कोई चिकित्सा अधिकारी शेष नहीं है।

चिकित्सा अधिकारियों की दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में जारी की जाने वाली अनंतिम वरीयता सूची में कर्मचारी कोषालय आई.डी. कोड की प्रविष्टी भी की जाना है। आपके अधिनस्थ अधिकारियों के कर्मचारी कोषालय आई.डी. कोड जो की संचालनालय को पूर्व में प्रेषित किये गये थे उनका समावेश भी किया जा रहा है। जिन चिकित्सा अधिकारियों के कर्मचारी कोषालय आई.डी. कोड की जानकारी पूर्व में संचालनालय को प्रेषित नहीं की गई है उनकी जानकारी भी समय-सीमा में संचालनालय को प्रेषित करें, जिससे कि वरीयता सूची में उसका समावेश किया जा सकें। उक्त जानकारी भेजने हेतु प्रपत्र संलग्न है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार – 3 प्रपत्र।

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. संचालक, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त चाही गई जानकारी समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।
02. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त चाही गई जानकारी समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।
03. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त चाही गई जानकारी समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।
04. संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश की ओर भेज कर लेख है कि उपरोक्त चाही गई जानकारी समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।
05. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश की ओर भेज कर लेख है कि अपने अधिनस्थ जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को चाही गई जानकारी समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणित प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करें।
06. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
07. स्टॉक फाईल।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

बेटी बचाओ – बेटी है तो कल है

चिकित्सा अधिकारियों की वरीयता सूची में संशोधन का प्रपत्र

Gradat ion No. 2014	NAME	SEX M/F	CAST E	DOB	PG QUALIFICATION	PG YEAR	HOME_ DISTRICT	DOJ_SERV	PSC Year	PSC NUMBER	CONFIRM DATE	Present Pay Scale	DISTRICT OF POSTING	PLACE OF POSTING	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला (म.प्र.)

चिकित्सा अधिकारियों की वरीयता सूची में नाम जोड़ने का प्रपत्र

S.No.	NAME	SEX M/F	CAST E	DOB	PG QUALIFICATION	PG YEAR	HOME_ DISTRICT	DOJ_SERV	PSC Year	PSC NUMBER	CONFIRM DATE	Present Pay Scale	DISTRICT OF POSTING	PLACE OF POSTING	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला (म.प्र.)